न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 3/016 तारीख रजू 24.02.2016

1. अमर पुत्र गंगाधर
2. किशन पुत्र गंगाधर
3. मदन पुत्र परभाती
4. गज्जो पुत्र परभाती
5. बबलू पुत्र परभाती
6. रमेश पुत्र चिरंजी
7. नेमी पुत्र चिरंजी

} जातियान कारीगर निवासीयान जगर तह0 हिण्डौन जिला करौली

8. कैलाशचंन्द पुत्र कल्याण जाति ब्राहामण निवासी जगर तहसील हिण्डौन जिला करौली
9. दिनेश पुत्र कल्याण जाति ब्राहामण निवासी जगर तहसील हिण्डौन जिला करौली
10. मूलचंन पुत्र चिरंजी जाति जोगी निवासी जगर तहसील हिण्डौन जिला करौली
11. खेमचंद पुत्र चिरंजी जाति जोगी निवासी जगर तहसील हिण्डौन जिला करौली
12. ओमप्रकाश पुत्र सम्पत जाति जोगी निवासी जगर तहसील हिण्डौन जिला करौली
13. अरमेश
14. शिवदयाल
15. शिवराम

} मिसरान लक्खी जातियान जोगी निवासीयान जगर तहसील हिण्डौन जिला करौली

16. जगन्नाथ पुत्र बत्तू जाति जोगी निवासी जगर तहसील हिण्डौन जिला करौली
17. अमृत पुत्र जगन्नाथ जाति जोगी निवासी जगर तहसील हिण्डौन जिला करौली

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये लैण्डहोल्डर तहसीलदार हिण्डौन सिटी

2 रमनलाल
3 घनश्याम
4 रणजीत
} पिसरान रामसहाय जाति जाटव निवासी जगर तहसील हिण्डौन जिला करौली

5 भीमसिंह
6 राहुल
} पिसरान रामसहाय नावालिंग जरिये संरक्षिका माता खुद केशली जाति जाटव निवासी जगर तहसील हिण्डौन जिला करौली

7 विमला
8 फूलवती
} पुत्रीयां रामसहाय जाति जाटव निवासी जगर तहसल हिण्डौन जिला करौली

9 केशूली वेवा रामसहाय जाजि जाटव निवासी जगर तहसील हिण्डौन

10 रामराज पुत्र नत्थी जाति धोबी निवासी बर्रिया तहसील करौली

– अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व</u>

<u>(कृषि प्रयोजरार्थ भूमि आबंटन) नियम 1970</u>

<u>निर्णय</u> **दिनांक** 14.08.2019

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है। कि आम जनता की ओर से खिलाफ अप्रार्थीयान के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजरार्थ भूमि आबंटन) नियम 1970 के पेश कर अवगत कराया गया है कि साविक खसरा नं. 2059 मि. रकवा 4 वीघा चारागाह वाके ग्राम जगर तहसील हिण्डौन में स्थित है जिसके नवीन खसरा नं. 4081 रवका 2.06 है0 व 4311 रकवा 1.64 है0 का भू–प्रवंध विभाग द्वारा कायम किये गये है। साविक आराजी अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 के पिता व के पति रामसहाय पुत्र भबूत्या जाति चमार को दिनांक 10.11.1975 को आवंटन होकर पटटा जारी किया गया था जिसमे अप्रार्थीयान के नाम रामसहाय फौत होने पर गेरखातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है। आवंटन विधि विरूद्व हुआ है। चरागाह भूमि सार्वजनिक हित की भूमि है। जिसे निजि हित के लिए आवंटन नही किया जा सकता यह भूमि राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत वर्जित है। भूमि पर आवंटन शर्तो के मुताविक कब्जा नही है। तहसीलदार ने दिनांक 14.08.2012 को विना जॉच पडताल किये ही इस भूमि को गेरखातेदारी से खातेदारी के अधिकार दे दिये गये है। आवंटन समिति के सदस्य सरपंच, विधायक मनोनीत सदस्य के हस्ताक्षर नही है, ना ही

प्रार्थनापत्र दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी 2 ता 9 जरिये बकालान्तन उपस्थित हुआ ओर जवाव प्रार्थनापत्र में, प्रार्थीयान के प्रार्थनापत्र में अंकित बिन्दूओ को नकारते हुए अंकित किया की विवादित भूमि पूर्व मे चरागाह थी जिसे किस्म बदल कर बारानी दर्ज करते हुए आवंटन होकर आज खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है आवंटन की शर्तो की पालना की गई है। मौके पर अप्रार्थीयान का कब्जा है। अप्रार्थी नं. 9 ने अप्रार्थी नं. 2 ता 8 से जरिये रजिस्टर्ड क्रय की गई है। आम जनता ने गलत तथ्यो से आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवंटन के समय किसी व्यक्ति ने कोई आपत्ति पेश नही की है। यह प्रार्थनापत्र ग्राम के असामाजिक तत्वो द्वारा पेश किया गया है जो पोशनीय नही है। अंत में प्रार्थीयान का प्रार्थनापत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

उभयपक्षकारान अभिभाषकगणो की बहस सुनी। तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वकील प्रार्थीयान ने अपने बहस कथन में प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन कहा है कि विवादित आराजी विधिविरूद्व अप्रार्थी 2 ता 8 के पिता, पति को गलत तरिके से 1975 में आवंटन हुई है। भूमि पर अप्रार्थीयान का कोई कब्जा नही है। पानी की टंकी बनी हुई है। आवंटन की शर्तो की पालना नही की गई है। गेरखातेदारी से खातेदारी अधिकार गलत तरिके से दिये गये है। अंत मे प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थीयान ने अपनी वहस कथन में जवाव प्रार्थनापत्र को दोहराते हुए कथन कहा है कि भूमि पर कब्जा है। कब्जा होने के आधार पर ही गेरखातेदारी से खातेदारी देने का अधिकार प्राप्त हुए है। आवंटन शर्तो की पूर्ण पालना करने के उपरन्त ही तहसीलदार ने गेरखातेदारी से खातेदारी का अधिकार दिये गये है, आवंटन विधि अनुसार आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर ही 1975 में आवंटन हुआ है। प्रार्थीयान का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाये जावे।

अभिभाषकगणो की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया की साविक आराजी खसरा नं. 2059 मे से अप्रार्थी नं. 2 ता 8 के पिता, पति रामसहाय पुत्र भबूत्या जाति चमार को आवंटन नियम 1970 के नियमो के तहत 5 वीघा भूमि चारागाह से किस्म परिर्वतन करते हुए दिनांक 10.11.1975 को आवंटन होकर गेरखातेदारी में दर्ज रिकार्ड हो गई। रामसहाय फौत हो जाने पर उसके वारिस के तोर पर अप्रार्थीयान के नाम गेरखातेदारी दर्ज हाने पर वर्ष 2012 मे तहसीलदार ने विधिवत जॉच करते हुए दिनांक 14.08.2012 को गेरखातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये गये जिसका नामान्तकरण

का कथन है कि विवादित आराजी में पानी की टंकी बनी हुई है। बहा पर राजस्व रिकार्ड के खसरा गिरदावरी मे ही पानी की टंकी का इन्द्राज किया हुआ है इस प्रकार से विवादित आराजी में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थीयान के पिता, पति को आवंटन होकर वर्तमान मे खातेदारी हो गई है। ओर खातेदार होने के वाद उनके द्वारा अप्रार्थी नं. 9 को वेचान कर दिया गया है। दोराने आवंटन के समय किसी भी ब्यक्ति या आम जनता द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नही हुई है। आवंटन आवेदन पत्र पर सभी प्रकार की कार्यवाही नियमानुसार आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिस के आधार पर आवंटन हुआ है ओर आवंटन होने के बाद आवंटी को आवंटन रकवे पर नियमानुसार कब्जा समलाया गया है। जहा पर आराजी में टंकी होने का प्रश्न है वहा पर भू–प्रवंध विभाग द्वारा अन्य आवंटियो के साथ–साथ इस आवंटन रकवे को शामिल करते हुए सभी की सयुक्त गेरखातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज कर हिस्सा खोला गया है। तो हिस्सा दर्ज होने पर गिरदावरी से यह पता नही चलता है कि यह पानी की टंकी किस गेरखातेदार के हिस्से की आराजी में है। अप्रार्थीयान को गेरखातेदारी से खातेदारी अधिकार तहसीलदार हिण्डौन ने अपने आदेश दिनांक 14.08.2012 से दिये गये है उसमे इस पानी की टंकी को नही माना जा सकता। जब स्वयं (भूमिधारी) तहसीलदार अप्रार्थीयान का भूमि पर कब्जा सावित कर रहा है तो अप्रार्थीयान द्वारा आवंटन नियमो की शर्तो की पालना की स्वतः अपने आप मे हो जाती है। किन्तु पानी की टंकी मुताबिक खसरा गिरदावरी के किस गेरखातेदारी/खातेदारी की आराजी मे स्थित है जिसकी जॉच कराया जाना ही आवश्यक है। हम वकील अप्रार्थी के कथनो से सहमत है। हस्तगत प्रार्थनापत्र प्रार्थीयान का आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) को प्रमाणित नही करता है।

अतः प्रार्थीयान का प्रार्थनापत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजरार्थ भूमि आबंटन) नियम 1970 का प्रार्थीयान सावित करने में नाकाम रहने पर खारिज किया जाता है। साथ ही तहसीलदार हिण्डौन को निर्देश दिये जाते है कि विवादित आराजी खसरा नं. 4081 के रकवे मे मुताविक खसरा गिरदावरी में वर्णित पानी की टंकी व आवादी दर्ज कर रखी है जो भूमि अपने आप में कृर्षि से अकृर्षि मे परिर्वतित हो चुकी है इस सम्बंध में मौके की जॉच करते हुए इस रकवे को खातेदारी हक से समाप्त करने हेतु प्रथक से सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने की कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।